जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

C.C. Act. (Externment)Case No.-02/2024-25

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा **बनाम** विरेन्द्र मंडल

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
26.4.2024	पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-148/डी0सी0बी0, दिनांक-30.03.2024 द्वारा नारायणपुर क्षेत्र में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं आम लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से कुख्यात अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल, पिता-फुलेश्वर मंडल, साकिम-झिलुवा, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)a के तहत् जिला बदर की कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया और पाया कि इस अपराधकर्मी के विरुद्ध वर्तमान में 1. साईबर थाना काण्ड संख्या-48/2020, दिनांक-01.10.2020 धारा-414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट, 2. साईबर थाना काण्ड संख्या-22/2021, दिनांक-04.03.2021 धारा-414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट 3. साईबर थाना काण्ड संख्या-51/2023, दिनांक-15.09.2023 धारा-413/414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट, के अंतर्गत तीन मामले दर्ज है और साथ ही, 1. नारायणपुर थाना दैनिकी सनहा संख्या-12/2024, दिनांक-25.03.2024 जिसमें अंकित है कि वह एक सक्रिय साईबर अपराधकर्मी हैं, तथा पैसे के बल पर आगामी लोकसभा चुनाव प्रभावित कर सकता है तथा योजना बना रहा है। 2. नारायणपुर थाना दैनिकी सनहा संख्या-14/2024, दिनांक-26.03.2024 में अंकित है कि वह एक सक्रिय साईबर अपराधकर्मी हैं, तथा पैसे के बल पर आगामी लोकसभा चुनाव प्रभावित कर सकता है तथा योजना बना रहा है। अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल, पिता-फुलेश्वर मंडल के संबंध में सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा के पत्रांक-175/अभि0, दिनांक-09.04.2024 द्वारा प्राप्त मंतव्य में अंकित है कि "कथित अपराधकर्मी के विरूद्ध धारा-414/419/420 भा0द0वि0 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत कई मामले दर्ज हैं और चुँकि उक्त मामले धारा 3 खण्ड (a) तथा खण्ड (b) के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिधि में आते है तथा भा0द0स0, 1860 के अध्याय XVII से संबंधित है, अतः श्रीमान् उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा CCA वाद दर्ज कर पारा 2 के अंकित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अधिकतम 06 माह की अवधि तक का जिला बदर करने का आदेश दिया जा सकता है।" तत्पश्चात् उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a)(b)(i)(ii) के अंतर्गत अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल को लिखित सूचना निर्गत कर कारण-पृच्छा मांगा गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। उसके विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि विरेन्द्र मंडल के विरूद्ध CCA के अंतर्गत कार्यवाही करने की संतुति गलत तथ्यों के आधार पर प्रेषित की गयी है, अतः वर्तमान कार्यवाही कानूनी रूप से जारी रखने योग्य नहीं है एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद दर्ज किया गया है। अपराधकर्मी के विरूद्ध विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3 के तहत्, "यह विश्वास करने के लिए उचित आधार विद्यमान होना चाहिए कि जिले या उसके किसी भाग में आपराधिक गतिविधियों में अभियुक्त सक्रिय हो जो भा0द0स0 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत् दण्डनीय अपराध या महिलाओं और	

लड़कियों के अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम-1956 से संबंधित अपराध हो या इन अपराधों का दुष्प्रेरण में वह शामिल हो"-संबन्धित कोई मामला विरेन्द्र मंडल के विरूद्ध नहीं बनता है। वह धारा-2(d) के अतंर्गत असामाजिक तत्व के अतंर्गत परिभाषित श्रेणी में भी नहीं आता है। अभियुक्त के विरूद्ध साईबर थाना में दर्ज काण्ड सं0-48/2020, 22/2021 एवं 51/2023 से संबंधित वाद न्यायालय में विचाराधीन है, और न्यायालय द्वारा उसे अब तक किसी मामले में दोषी नहीं पाया गया है। उक्त दोनों वादों में कोई रकम जप्त/प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही वह आदतन अपराधी भी नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन कहा गया कि अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने हेतु अधिनियम की धारा 2(d) की शर्ते पूरी होनी चाहिए तथा साथ ही अभियुक्त का आदतन अपराधी होना आवश्यक है। इस प्रकार अपराधकर्मी के विरूद्ध अस्पष्ट आरोप के आधार पर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)a के तहत् अभियोजन नहीं किये जाने का विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया।

पक्षकार राज्य सरकार (द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा) की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हुए, उनको सुना। उनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के पत्रांक-148/डी0सी0बी0, दिनांक-30.03.2024 द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि विरेन्द्र मंडल, पिता-फुलेश्वर मंडल सा0-झिलुवा, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा एक शातिर साईबर अपराधकर्मी है, इसके द्वारा साईबर फ्रॉड के माध्यम से कई लोगों का पैसा ठगी किया गया है एवं कई बार जेल जा चुका है। वर्तमान में जमानत पर न्यायिक हिरासत से मुक्त है। जमानत होने के बाद से उसके विरूद्ध आसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ है कि वह पुनः साईबर अपराध कारित करने की फिराक में है। उसके द्वारा ठगी किये गये रूपये का इस्तेमाल लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदातों को प्रलोभित करने, लोक व्यवस्था, आम जनजीवन को प्रभावित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। उसके विरूद्ध जामताड़ा जिला अतंर्गत आपराधिक इतिहास के रूप में काण्ड एवं सनहा दर्ज है, जिसका विवरणी निम्न प्रकार है :-

1. जातमाड़ा साईबर अपराध थाना काण्ड संख्या-48/2020, दिनांक-01.10.2020 धारा-414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट, जिला एवं अपर सत्र न्यायालय, जामताड़ा में चिराधीन।
2. जातमाड़ा साईबर अपराध थाना काण्ड संख्या-22/2021, दिनांक-04.03.2021 धारा-414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट, जिला एवं अपर सत्र न्यायालय, जामताड़ा में विचाराधीन।
3. जातमाड़ा साईबर अपराध थाना काण्ड संख्या-51/2023, दिनांक-15.09.2023 धारा-413/414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट, जिला एवं अपर सत्र न्यायालय, जामताड़ा में विचाराधीन।
4. नारायणपुर थाना दैनिकी सनाह संख्या-12/2024, दिनांक-25.03.2024 जिसमें अंकित है कि विरेन्द्र मंडल जो की एक सक्रिय शातिर साईबर अपराधकर्मी है तथा पैसे के बल पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित कर सकते है तथा इसकी योजना बना रहा है।
5. नारायणपुर थाना दैनिकी सनाह संख्या-14/2024, दिनांक-26.03.2024 जिसमें अंकित है कि विरेन्द्र मंडल जो की एक सक्रिय शातिर साईबर अपराधकर्मी है तथा पैसे के बल पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित कर सकते है तथा इसकी योजना बना रहा है।

पुनः विद्वान सहायक लोक अभियोजक की ओर से कहा गया कि तथाकथित अपराधकर्मी के विरुद्ध एक ही तरह के अपराध करने संबन्धित पूर्ववृत्त इतिहास है और अपराधकर्मी के विरुद्ध पुनः साइबर गतिविधियों में संलिप्त होने की सूचना मिल रही है जिस कारण से अभियुक्त के विरुद्ध दो सन्हा भी दर्ज किया जा चुका है। उनका यह भी कथन है कि जामताड़ा जिले के अंदर साइबर अपराध संबन्धित मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अपराधियों द्वारा अर्जित इस धन का उपयोग चुनाव प्रक्रिया बाधित किए जाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक कहना है कि चूंकि अभियुक्त के विरुद्ध बार-बार साइबर अपराध में संलिप्त होने का साक्ष्य

मौजूद है एवं साथ ही उसके विरुद्ध धारा-414/419/420 भा0द0वि0 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज हैं जो भा0द0स0, 1860 के अध्याय XVII से संबंधित अपराध है अतः अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा 2(d) के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिधि में आते हैं एवं एक ही तरह के अपराध में संलिप्त होने के कारण आदतन अपराधी भी है अतः इस प्रकार उसके द्वारा थाना नारायणपुर में साईबर अपराध किये जाने एवं आगामी लोक सभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने की संभावना, नारायणपुर थाना क्षेत्र में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)a के अंतर्गत छः माह की अवधि या जामताड़ा जिला में लोकसभा आम निर्चाचन-2024 के परिणाम अवधि तक अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल, पिता-फुलेश्वर मंडल, साकिम-झिलुवा, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा को जिला बदर करने का अनुरोध विद्वान सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा किया गया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत दो मामले क्रमशः ***गोडबिन खान उर्फ गोडविन खान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य: निर्णय तिथि 17.07.2017*** एवं ***अमर नाथ सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य:निर्णय तिथि 26.10.2021*** का उद्धहरण प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि संबन्धित अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने हेतु, अधिनियम की धारा 2(d) की शर्ते पूरी करता है तथा साथ ही अभियुक्त आदतन अपराधी भी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-148/डी0सी0बी0, दिनांक-30.03.2024 एवं उसमें संलग्न कागजातों एवं सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा समर्पित मंतव्य एवं अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। साथ ही विरेन्द्र मंडल के अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया कारणपृच्छा -सह- लिखित बहस का अवलोकन किया गया। अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल द्वारा प्रस्तुत करण-पृच्छा में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारने के लिए आधारहीन एवं अप्रासंगिक तथ्यों का समावेशन किया गया है तथा साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर भी असंतोषप्रद है। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्यों से पता चलता है कि इस अपराधकर्मी के विरुद्ध साइबर अपराध संबन्धित तीन मामले काण्ड सं0-48/2020, 22/2021 एवं 51/2023 दर्ज है एवं क्षेत्र में पुनः साइबर अपराध में सक्रिय रहने की आसूचना भी प्राप्त हुई है जिसके आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा इस आशय का सन्हा संख्या 25/24 एवं 33/24 भी दर्ज किया गया है। चूंकि अराधकर्मी विरेन्द्र मंडल द्वारा भा0द0स0, 1860 के अध्याय XVII से संबंधित धारा-414/419/420 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत बार-बार अपराध किया गया है अतः वह झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा 2(d) के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिधि में आता है साथ ही एक ही तरह के अपराध में संलिप्त होने के कारण आदतन अपराधी भी है। अतः अपराधकर्मी की गतिविधियों से आगामी लोक सभा चुनाव 2024 के प्रभावित होने एवं लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव एवं अनुशंसा, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत बहस एवं सब प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में, अंतर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरांत संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझती हूँ कि अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल, पिता-फुलेश्वर मंडल, साकिम-झिलुवा, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा को आसन्न लोक सभा चुनाव 2024 को देखते हुये और जिले में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस जिलेसे निष्कासन किया जाना आवश्यक है।

अतः अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने की संभावना एवं करमाटाँड़ थाना क्षेत्र में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टिकोण से झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)a के अंतर्गत जामताड़ा जिला में लोकसभा आम चुनाव-2024 के परिणाम अवधि के कुछ दिन पश्चात तक अर्थात दिनांक-03.05.2024 से 30.06.2024 तक अपराधकर्मी

विरेन्द्र मंडल, पिता–फुलेश्वर मंडल, साकिम–झिलुवा, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा को जिला बदर करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–7(1)b के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 25000/– (पच्चीस हजार) का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक–02.05.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक–30.06.2024 से पहले जामताड़ा जिला में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर अपराधकर्मी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–7(2)b के तहत कार्रवाई की जायेगी। अपराधकर्मी विरेन्द्र मंडल झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति विरेन्द्र मंडल, जिले के सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen 30.4.24

Seen 30.04.24

Rec. 30/4/24

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.06.03 11:25:02 +05:30
Location: 192.168.43.106